



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2019/चैत्र 22, 1941

No. 253]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2019/CHAITRA 22, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 304(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 200 और 203 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये तारीख 12 मई, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, परिशिष्ट 2 में -

- (क) प्रारूप संख्यांक 16 में,-
(i) "भाग क" के पश्चात् आने वाले "टिप्पण" का लोप किया जाएगा;
(ii) "भाग ख (उपाबंध)" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"भाग ख (उपाबंध)

संदर्भ वेतन और कोई अन्य आय तथा कर कटौती के ब्यौरे			
	सकल वेतन		
(क)	धारा 17 (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन		रु.....

(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्रारूप संख्यांक 12खक के अनुसार, जहां कहीं लागू हो)		रु.....	
(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्रारूप संख्यांक 12खक के अनुसार, जहां कहीं लागू हो)		रु.....	
(घ)	कुल			रु.....
(ड.)	अन्य नियोजक (कों) से प्राप्त रिपोर्ट की गई वेतन की कुल रकम		रु.....	
2.	घटाएं: धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते			
(क)	धारा 10 (5) के अधीन यात्रा रियायत या सहायता		रु.....	
(ख)	धारा 10(10) के अधीन मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान		रु.....	
(ग)	धारा 10(10क) के अधीन पेंशन का संराशित मूल्य		रु.....	
(घ)	धारा 10(10कक) के अधीन छुट्टी वेतन नकदीकरण के समतुल्य नकद		रु.....	
(ड.)	धारा 10(13क) के अधीन मकान किराया भत्ता		रु.....	
(च)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की रकम			
	खंड -----	रु.....		
	खंड -----	रु.....		
	खंड -----	रु.....		
	खंड -----	रु.....		
	खंड -----	रु.....		
	-----	रु.....		
(छ)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की कुल रकम		रु.....	
(ज)	धारा 10 के अधीन दावाकृत छूट की कुल रकम [2(क)+2(ख)+2(ग)+2(घ)+2(ड.)+2(छ)]			रु.....
3.	वर्तमान नियोजक से प्राप्त वेतन की कुल रकम[1(घ)-2(ज)]			रु.....
4.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौतियां			
(क)	धारा 16(iक) के मानक कटौती		रु.....	
(ख)	धारा 16(ii) के अधीन सत्कार भत्ता		रु.....	
(ग)	धारा 16(iii) के अधीन नियोजन पर कर		रु.....	
5.	धारा 16 के अधीन कटौतियों की कुल रकम [4(क)+4(ख)+4(ग)]			रु.....
6.	“वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(3+1(ड.)-5)]			रु.....
7.	जोड़ें: धारा 192(2ख) के अधीनानुसार कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय			
(क)	स्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रस्तावित कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई गृह संपत्ति से आय (या ग्राह्य हानि)		रु.....	
(ख)	स्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रस्तावित अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय		रु.....	
8.	कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई अन्य आय की कुल रकम [7(क)+7(ख)]			रु.....

9.	सकल कुल आय (6+8)			रु.....
10.	अध्याय 6-क के अधीन कटौतियां			
			सकल रकम	कटौती योग्य रकम
(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय आदि की बाबत कटौती		रु.....	रु.....
(ख)	धारा 80गग के अधीन कतिपय पेंशन निधियों में अभिदाय की बाबत कटौती		रु.....	रु.....
(ग)	धारा 80गघ(1) के अधीन पेंशन स्कीम में कर दाता द्वारा अभिदाय की बाबत कटौती		रु.....	रु.....
(घ)	धारा 80ग, 80गग और 80गगघ(1) के अधीन कुल कटौती		रु.....	रु.....
(ङ.)	धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम में संदत्त/जमा की गई रकम की बाबत कटौतियां		रु.....	रु.....
(च)	धारा 80गगघ(2) के अधीन पेंशन स्कीम में नियोजक द्वारा अभिदाय की बाबत कटौती		रु.....	रु.....
(छ)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती		रु.....	रु.....
(ज)	धारा 80ड. के अधीन उच्चतर शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की बाबत कटौती		रु.....	रु.....

		सकल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम
(झ)	धारा 80 छ के अधीन कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत कुल कटौती	रु.....	रु.....	रु.....
(ञ)	धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में निक्षेपों पर ब्याज की बाबत कटौती	रु.....	रु.....	रु.....
(ट)	अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध(धों) के अधीन कटौती योग्य रकम			
	धारा.....	रु.....	रु.....	रु.....
	धारा.....	रु.....	रु.....	रु.....
	धारा.....	रु.....	रु.....	रु.....
	धारा.....	रु.....	रु.....	रु.....
	धारा.....	रु.....	रु.....	रु.....
	धारा.....	रु.....	रु.....	रु.....
	रु.....	रु.....	रु.....
(ठ)	अध्याय 6 -क के किसी अन्य उपबंध(धों) के अधीन कटौती योग्य रकम का योग	रु.....	रु.....	रु.....
11.	अध्याय 6-क के अधीन कटौती योग्य रकम का योग [10(क) +10(ख) +10(ग) +10(घ) +10(ङ.) +10(च) +10(छ) +10(ज) +10(झ) +10(ञ) +10(ठ)]			रु.....

12.	कुल कर योग्य आय(9-11)			रू.....
13.	कुल आय पर कर			रू.....
14.	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो			रू.....
15.	अधिभार, जहां कहीं लागू हो			रू.....
16.	स्वास्थ्य और शिक्षा उप कर			रू.....
17.	संदेय कर (13+15+16-14)			रू.....
18.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (ब्यौरे संलग्न करें)			रू.....
19.	शुद्ध संदेय कर (17-18)			रू.....
सत्यापन				
मैं,पुत्र/पुत्री.....जो (पदनाम) की हैसियत से कार्य कर रहा/रही हूँ, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा बहियों दस्तावेजों, स्रोत पर कर की कटौती के विवरणों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।				
स्थान.....	(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)			
तारीख.....	पूरा नाम.....			

टिप्पण:

- सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 1 में जानकारी भरें यदि कर को आय कर चालान के पेश किए बिना संदत्त किया जाता है और यदि कर को आय कर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- गैर सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- कटौतीकर्ता, आय कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरणों के विषय में है।
- यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती केवल एक नियोजक के अधीन नियोजित है तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए जारी प्रमाण पत्र, प्ररूप सं. 16 में वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए जमा और कर कटौती का विवरण होगा।
- (i) यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती एक नियोजक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोजक, उस अवधि से संबंधित प्ररूप सं. 16 में प्रमाण पत्र का भाग क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के अधीन नियोजित था।
(ii) निर्धारिती के विकल्प पर प्ररूप सं. 16 में प्रमाण पत्र का भाग ख (उपाबंध) प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा जारी किया जा सकेगा।
- भाग क के मद 1 और मद 2 में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किए गए कर के लिए स्तंभ में कर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल रकम उल्लिखित करें।
- कटौतीकर्ता भाग ख (उपाबंध) को कर्मचारी को देने से पहले मद संख्या 2(च) और 10(ट) में ब्यौरे, जहां कहीं उपलब्ध हों, सम्यक् रूप से भरेगा।";

टिप्पण :

1. वेतन के अन्तर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन (धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न) फीस, कमीशन, बोनस के अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1984 का 8), नियोजन के पर्यवसान पर या उसके सम्बन्ध में किए गए संदायों सहित किसी वेतन या मजदूरी के बदले में, या उसके अतिरिक्त परिलब्धियां, लाभ, अनुपभुक्त छुट्टी का किसी अवधि के सम्बन्ध में प्राप्त कोई संदाय (धारा 10(10कक) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न), आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग-क के नियम 6 के अनुसार कर से प्रभार्य कोई मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में लेखा के अतिशेष में कोई वार्षिक अभिवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग-क के नियम 11 के उपनियम (4) के अनुसार कोई राशि, जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त समझी जाए। धारा 80गघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या 'वेतन' शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य कोई अन्य राशियां भी आती हैं।
2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त परिलब्धियों से कटौती करता है या उस कर्मचारी के किन्हीं अभिदायों को उसकी ओर से किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में संदाय करता है, वहां ऐसी सभी कटौतियों या संदायों को विवरणी में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
3. भू-स्वामी का स्थायी लेखा संख्यांक अनिवार्य रूप से वहां दिया जाना चाहिए, जहां पूर्व वर्ष के दौरान संदत्त समग्र किराया एक लाख रुपए से अधिक है।
4. उधार देने वाले का स्थायी लेखा संख्यांक अनिवार्य रूप से वहां दिया जाना चाहिए, जहां ऐसे आवास ऋण, जिस पर ब्याज का संदाय किया गया है, किसी वित्तीय संस्था या नियोजक से भिन्न किसी व्यक्ति से लिया जाता है।

[अधिसूचना सं. 36/2019/फा.सं. 370142/4/2019-टीपीएल]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उन्हें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 279 (अ), तारीख 01/04/2019 द्वारा संशोधित किया गया।